



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-741/5।

रायपुर, दिनांक 05/01/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
नारायणपुर वन मंडल, नारायणपुर
छत्तीसगढ़

- विषय: - **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 16th B.N. (I/R.) C.A.F. Head Quarter Establishing, area - 12.899 ha. - regarding.**
पंजीयन क्रमांक - **FP/CG/Others/34216/2018**
- संदर्भ: - मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर का पत्र क्रमांक/मा.चि/न.क्र. 25/2018 /3350 दिनांक 27.12.2018

-00-

विषयान्तर्गत COMMANDANT, 16TH BN(I/R)CAF NARAYANPUR द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत 16जी B.N. (I/R.) C.A.F. Head Quarter Establishing हेतु कुल क्षेत्र 12.899 हे. नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें निम्न कमी है:-

1. कलेक्टर कार्यालय द्वारा FRA Certificate अपलोड नहीं किया गया है।
2. वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन में वनमंडल अंतर्गत विदोहन होने वाले वृक्षों की संख्या 511 दर्शित है। परन्तु आनलाईन फार्म ए पार्ट - 2 में वृक्षों की संख्या 506 प्रदर्शित है। आनलाईन सुधार आवश्यक है।
3. प्रस्तावित क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य का ले आऊट प्लान संलग्न नहीं है और न ही आनलाईन अपलोड किया गया है।
4. वैकल्पिक वृक्षारोपण के.एम.एल फाईल पर क्षेत्र 25.798 हे. P/2359 (O.A.) में धनत्व अधिक एवं छोटे से भाग में अतिक्रमण दर्शित हो रहा है। परीक्षण करते हुए वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता बतावें।
5. वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्त प्रमाण पत्र आनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
6. फार्म ए पार्ट-2 के कामल न. 16 में व.म.अ. का Recommendation Form -A, part- II अपलोड नहीं किया गया है।
7. वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo-referenced map एवं Survey of India Toposheet अपलोड नहीं किया गया है।
8. गैर वन क्षेत्र उपलब्ध न होने संबंधी 3 विकल्पों का तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया जावे।
9. भाग-II प्रपत्र-3 एवं भाग-III में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें। तदनुसार प्रस्ताव 4 प्रतियों में मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

(वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)

छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 05/01/2019

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-741/52

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़
2. कार्यालय सेनानी, 16वीं वाहिनी (भा./र.) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर।

(वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)

छत्तीसगढ़